



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2019/चैत्र 25, 1941

No. 131]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2019/CHAITRA 25, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2019

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एडिटिब्ज-1/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकेंगे ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

- (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 (जिन्हें एतदपश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के-

- (1) विनियम 3.3 के उप-विनियम 3.3.1 के खंड 4 में मद (xi) के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाए, अर्थात्,-
“(xii) 4,5 एपॉक्सीडेक-2(ट्रांस)-एनाल”
- (2) परिशिष्ट क में “IV. खाद्य उत्पादों में खाद्य सहयोज्य पदार्थों का उपयोग” शीर्षक के नीचे,-
- (क) सारणी 1 में,-
- (i) खाद्य श्रेणी सिस्टम 1.6.2 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने कॉलम (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ “प्रोपियानिक एसिड, सोडियम प्रोपियोनेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट” के बाद “पीमाराइसिन (नैटामाइसिन)” खाद्य सहयोज्य पदार्थ और कॉलम (4), (5) और (6) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;
- (ii) खाद्य सहयोज्य पदार्थ “फॉस्फेट” के सामने सादा प्रसंस्कृत पनीर/प्रसंस्कृत पनीर, प्रसंस्कृत पनीर स्प्रेड से संबंधित खाद्य श्रेणी सिस्टम 1.6.4.1 संबंधी प्रविष्टियों के सामने कॉलम (6) में “फॉस्फोरस/कार्बोनेट/सिट्रेट/क्लोराइड के रूप में आकलित कुल लवण अंश 9,000 मिग्रा/किग्रा से अधिक न हो” प्रविष्टि की जगह “33” प्रविष्टि की जाए।
- (ख) सारणी 2 में,-
- (i) खाद्य श्रेणी सिस्टम 2.1.2 में,-
- क. कॉलम (2) में “वनस्पति तेल और वसा” खाद्य श्रेणी के नाम की जगह निम्नलिखित नाम रखा जाए, अर्थात्,-
“वनस्पति तेल, वसा और बेकरी शोर्टनिंग”
- ख. कॉलम (4) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ “लेसिथिन” के सामने “322(i)” प्रविष्टि की जगह “322(i), 322(ii)” प्रविष्टियाँ की जाएँ;
- ग. कॉलम (3) में “मोनोग्लिसराइडसिट्रेट” प्रविष्टि की जगह “ग्लिसरॉल के सिट्रिक और वसीय अम्ल एस्टर” प्रविष्टि की जाए;
- घ. “331(iii)” प्रविष्टि से पहले खाद्य सहयोज्य पदार्थ “सोडियम सिट्रेट” के सामने “331(i)” प्रविष्टि की जाए;
- ङ. खाद्य सहयोज्य पदार्थ “थायोडाइप्रोपियोनेट” और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित सामग्री जोड़ी जाए, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य पदार्थ	आईएनएस सं.	अनुशंसित अधिकतम स्तर	टिप्पणी
“ग्लिसरॉल के लैक्टिक और वसीय अम्ल एस्टर	472b	10,000 मिग्रा/किग्रा	408
वसीय अम्लों के मोनो और डाइग्लिसराइड	471	जीएमपी	408

वसीय अम्ल के पॉलिग्लिसरॉल एस्टर	475	5,000 मिग्रा/किग्रा	408"
---------------------------------	-----	---------------------	------

(ii) खाद्य श्रेणी सिस्टम 2.2.2 में,-

क. कॉलम (2) में "फैट स्प्रेड, डेयरी फैट स्प्रेड और मिश्र स्प्रेड (मारगरीन, बेकरी शोर्टनिंग और फैट स्प्रेड)" खाद्य श्रेणी के नाम की जगह निम्नलिखित नाम रखा जाए, अर्थात्,-

"फैट स्प्रेड, डेयरी फैट स्प्रेड और मिश्र स्प्रेड (मारगरीन और फैट स्प्रेड)"

ख. खाद्य सहयोज्य पदार्थ "सोबेट" के सामने कॉलम (5) में "2,000 मिग्रा/किग्रा" प्रविष्टि की जगह "1,000 मिग्रा/किग्रा" प्रविष्टि की जाए;

ग. खाद्य सहयोज्य पदार्थ "इथाईलीनडायामाइन टेट्रा एसिटेट (ईडीटीए)" के सामने कॉलम (5) में "100 मिग्रा/किग्रा" प्रविष्टि की जगह "50 मिग्रा/किग्रा" प्रविष्टि की जाए;

(ग) सारणी 5 में खाद्य श्रेणी सिस्टम 5.3 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने खाद्य सहयोज्य पदार्थ "माइक्रोक्रीस्टेलिन वैक्स" के सामने कॉलम (3) से (6) तक की प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएँ, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य पदार्थ	आईएनएस सं.	अनुशंसित अधिकतम स्तर	टिप्पणी
"माइक्रोक्रीस्टेलिन वैक्स	905c(i)	20,000 मिग्रा/किग्रा	3";

(घ) सारणी 6 में खाद्य श्रेणी सिस्टम 6.2.1 और 6.2.2 में कॉलम (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ "कैल्शियम कार्बोनेट" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य पदार्थ और प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य पदार्थ	आईएनएस सं.	अनुशंसित अधिकतम स्तर	टिप्पणी
"पोटाशियम आयोडेट	917	50 मिग्रा/किग्रा	आटे के द्रव्यमान के आधार पर";

(ङ) सारणी 7 में खाद्य श्रेणी सिस्टम 7.2.1 में कॉलम (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ "टारटराजीन" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य पदार्थ और प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य पदार्थ	आईएनएस सं.	अनुशंसित अधिकतम स्तर	टिप्पणी
"पोटाशियम आयोडेट	917	जीएमपी	";

(च) सारणी 12 में खाद्य श्रेणी सिस्टम 12.2.2 में खाद्य सहयोज्य पदार्थ “फॉस्फेट” के सामने कॉलम (6) में “26” प्रविष्टि की जगह “226” प्रविष्टि की जाए;

(3) उक्त विनियमों में सारणी 1 से 15 में उल्लिखित खाद्य सहयोज्य पदार्थों की टिप्पणी में टिप्पणी संख्या 340 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित टिप्पणी संख्या और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँ, अर्थात्,-

टिप्पणी सं.	सारणी 1 से 15 में उल्लिखित खाद्य सहयोज्य पदार्थों की टिप्पणियाँ
“408	केवल बेकरी शोर्टनिंग के लिए”।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./15/19]

टिप्पणः—मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्याको द्वारा संशोधित किये गए थे; —

- 1) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- 2) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- 3) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- 4) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- 5) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई° पीएएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- 6) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- 7) फा. सं. पी°15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 8) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 9) फा. सं.पी.15025/261-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 10) फा. सं. पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 11) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 12) फा. सं. 1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी (फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- 13) फा. सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- 14) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- 15) फा. सं° 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई – 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
- 16) फा. सं. 1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- 17) फा. सं. 1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- 18) एफ. सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016;
- 19) फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
- 20) फा. सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 21) फा. सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 22) फा. सं. मानक/एसपी(जल और पेय)/अधि (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्टूबर, 2016;
- 23) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;
- 24) फा. सं. पी./15025/93/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;
- 25) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;
- 26) फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;

- 27) फा. सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 28) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 29) फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- 30) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून 2017;
- 31) फा. सं. 1/योजक/मानक/14.2 अधिसूचना/ एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई,2017;
- 32) फा. सं. मानक/एफओ और वीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017;
- 33) फा. सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;
- 34) फा. सं. मानक/एम. एंड एम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 35) फा. सं मानक/एसपी (पानी और पेय)/अधि. (1)/एफएसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 36) फा. सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 37) फा. सं. 2/स्टैंडर्ड्स/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एफ एस एस ए आई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;
- 38) फा. सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- 39) फा. सं.मानक/ओ और एफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- 40) एफ. सं. 2/स्टैंडर्ड्स/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एफ एस एस ए आई-2016(भाग), तारीख 24 अक्टूबर, 2017;
- 41) फा. सं. ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 42) फा. सं. 1/योजक/मानक/बी आइ एस अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई/2016, तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 43) एफ. सं. मानक/ओ एवं एफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017, 2016 तारीख 20 फरवरी,2018
- 44) एफ.सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी (फोर्टीफाईड और एनरिचड फूड)-रेग/एफ एस एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;
- 45) एफ. सं. 1-110 (3)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;
- 46) एफ. सं. स्टैंडर्ड्स/एससीएसएस एंड एच/अधिसूचना (03)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;
- 47) स. स्टैंडर्ड्स/सी पी एल एंड सी पी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 4 मई, 2018;
- 48) फाइल सं. एसटीडीएस/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस लोवीस नोटिफिकेशन/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 49) फा. सं. मानक/एसपी(जल और सुपेय) अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 50) फा. सं. मानक/सीपीएल और सीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;
- 51) फाइल सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोग्य /स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 8 नवंबर, 2018;
- 52) फा. सं. मानक/03/अधिसूचना (सीएफओआई तथा वाईसी)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 16 नवंबर, 2018;
- 53) फा. सं. मानक/ओ एंड एफ/अधिसूचना(7)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 54) फा. सं. मानक/एम एंड एमपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 55) फा. सं. मानक/एफ&वीपी/नोटिफिकेशन(04)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 56) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/नोटिफिकेशन/2010-एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 26 नवम्बर, 2018; और
- 57) फा. सं. 02-01/ ईएनएफ-1 (1)/एफएसएसएआई-2012, तारीख 29 जनवरी, 2019।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2019

F. No. Stds/Additives-1/Notification/FSSAI/2018.- The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into

consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as said regulation),

(1) in regulation 3.3, in sub-regulation 3.3.1, in clause 4, after item (xi), the following item shall be inserted, namely:-

"(xii) 4,5 epoxydec-2(trans)-enal"

(2) in Appendix A, under the heading "IV. USE OF FOOD ADDITIVES IN FOOD PRODUCTS", -

(a) In Table 1,-

(i) against the entries relating to the Food Category System 1.6.2, in column (3), after the food additive "Propionic acid, sodium propionate, calcium propionate", the food additive "Pimaricin (Natamycin)" and the entries relating thereto in column (4), (5) and (6) shall be omitted;

(ii) against the entries relating to Food Category System 1.6.4.1 pertaining to Plain processed cheese/ processed cheese, processed cheese spread, against the food additive "Phosphates", in column (6), for the entry "Total salt content should not exceed 9,000 mg/kg calculated as phosphorous/ carbonates/citrate/ chloride", the entry "33" shall be substituted;

(b) In Table 2,

(i) in Food Category System 2.1.2,-

(A) in column (2), for the Food Category Name "Vegetable oils and fats", following shall be substituted, namely:-

"Vegetable oils, fats and bakery shortenings"

(B) against the Food Additive "Lecithin" in column (4), for the entry "322 (i)", the entries "322 (i), 322 (ii)" shall be substituted;

(C) in the column (3), for the entry "Monoglyceride citrate", the entry "Citric and fatty acid esters of glycerol" shall be substituted;

(D) against the food additive "Sodium Citrate" before the entry "331(iii)", the entry "331(i)" shall be inserted.

(E) after the food additive "THIODIPROPIONATES" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"Lactic and fatty acid esters of glycerol	472b	10,000 mg/kg	408
Mono and diglycerides of fatty acids	471	GMP	408
Polyglycerol esters of fatty acid	475	5,000 mg/kg	408;"

(ii) in food category system 2.2.2,-

(A) in column (2), for Food Category Name "Fat spreads, dairy fat spreads and blended spreads (margarine, bakery shortenings and fat spreads)", following shall be substituted, namely:-

"Fat spreads, dairy fat spreads and blended spreads (margarine and fat spreads)"

(B) against the food additive “SORBATES”, in the column (5), for the entry “2,000 mg/kg”, the entry “1,000 mg/kg” shall be substituted;

(C) against the food additive “ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES (EDTA)” in the column (5), for the entry “100 mg/kg”, the entry “50 mg/kg” shall be substituted;

(c) In Table 5, against the entries relating to food category system 5.3, against the food additive “Microcrystalline wax”, for the entries in column (3) to (6), the following entries shall be substituted, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
" Microcrystalline wax	905c(i)	20,000 mg/kg	3”;

(d) in Table 6, in food category system 6.2.1 and 6.2.2, in column (3), after the food additive “Calcium Carbonate” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be omitted, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
" Potassium iodate	917	50mg/kg	On flour mass basis”;

(e) in Table 7, in food category system 7.2.1, in column (3), after the food additive “Tartarazine” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be omitted, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
" Potassium iodate	917	GMP	”;

(f) in Table 12, in food category system 12.2.2, against the food additive “PHOSPHATES” in column (6), for the entry “26”, the entry “226” shall be substituted;

(3) In the said regulations, in the Notes to the Food Additives mentioned in the Table 1 to 15, after the Note No. 340 and the entries relating thereto, the following Note No. and entries shall be inserted, namely:-

Note no.	Notes to the food additives mentioned in the table 1 to 15
“408	Only for bakery shorteing”.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./15/19]

Note:--The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification.

- 1) F. No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- 2) F. No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- 3) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
- 4) F. No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
- 5) F. No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
- 6) F. No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
- 7) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 8) F. No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 9) F. No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
- 10) F. No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
- 11) F. No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
- 12) F. No. 1-10(1)/Standards/SP9Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
- 13) F. No. 3-16/Specified Foods/Notification (Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;

- 14) F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
- 15) F. No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- 16) F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
- 17) F. No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
- 18) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- 19) F. No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- 20) F. No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- 21) F. No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
- 22) F. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
- 23) F. No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
- 24) F. No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
- 25) F. No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
- 26) F. No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
- 27) F. No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
- 28) F. No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
- 29) F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
- 30) F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
- 31) F. No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
- 32) F. No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;
- 33) F. No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
- 34) F. No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;
- 35) F. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016, dated 15th September,2017;
- 36) F. No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September,2017;
- 37) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
- 38) F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
- 39) F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;
- 40) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;
- 41) F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;
- 42) F. No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;
- 43) F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February, 2018;
- 44) F. No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;
- 45) F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;
- 46) F. No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;
- 47) No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;
- 48) F. No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, dated 20th July, 2018;
- 49) F. No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, dated 20th July, 2018;
- 50) Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, dated 31st July, 2018;
- 51) F. No.1/Additional Additives/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated 8th November, 2018;
- 52) F. No. Stds/03/Notification (CFOI&YC)/FSSAI-2017, dated 16th November, 2018;
- 53) F. No. Stds/O&F/Notification (7)/FSSAI-2017, dated 19th November, 2018;
- 54) F. No. Stds/M&MP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;

-
- 55) F. No. Stds/F&VP/Notifications (04)/FSSAI-2016, dated 19th November,2018;
56) F. No. 1-116/Scientific Committee (Noti.)/2010-FSSAI, dated 26th November, 2018; and
57) F. No. 02-01/Enf-1(1)/FSSAI-2012, dated 29th January, 2019.